लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 440

04 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र की स्थिति

440. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान जैसे उप-क्षेत्रों में बंटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वस्त्र और परिधान के क्षेत्र में वैश्विक बाजारों में सफल होने के लिए अपेक्षित पैमाने का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) वस्त्र और परिधान क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धी उद्यमों के समकक्ष लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): वस्त्र उद्योग 5 एफ (5F) विजन से प्रेरित है, जो फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन तक पर केंद्रित है, जिसमें एक छोर पर हाथ से काते और हाथ से बुने हुए वस्त्र क्षेत्र हैं, और दूसरे छोर पर पूंजी-गहन परिष्कृत मिल क्षेत्र है। भारत में वस्त्र उद्योग की मूलभूत ताकत कपास, जूट, रेशम और ऊन जैसे प्राकृतिक फाइबर से लेकर पॉलिएस्टर, विस्कोस, नायलॉन और ऐक्रेलिक जैसे सिंथेटिक/मानव निर्मित फाइबर तक के फाइबर/यार्न की एक विस्तृत श्रृंखला का मजबूत उत्पादन आधार है। वस्त्र उद्योग में कई क्षेत्र जैसे अपैरल, तकनीकी वस्त्र, घरेलू वस्त्र, बुनाई, कताई, जिनिंग और प्रेसिंग आदि शामिल हैं।

भारत सरकार देश भर में वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू कर रही है। मुख्य योजनाओं/पहलों में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम; हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों आदि के लिए शुरू से अंत तक समर्थन हेतु राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

वस्त्र और अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वस्त्र और अपैरल निर्यात के संवर्धन और ब्रांडिंग में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को बाजार पहुंच पहल योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, सरकार वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपैरल/गारमेंट और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों में छूट (आरओएसटीसीएल) की योजना लागू कर रही है।

****